



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं०. 0522-2286643

नं०. 0522-2287701

पत्र सं०: 2159 -मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010-12-मा०सं०प्र०-02/2007

दिनांक : 07 अक्टूबर, 2010

### कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगमादेश सं०: 1890-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010, दिनांक 01.09.2010 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश के प्रस्तर-1(IV) में उल्लिखित विकल्प का प्राविधान अवर अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त उन कार्मिकों के लिये भी प्रयोज्य है जिसके द्वारा निगमादेश सं० 320/मा०सं०-(04)/उनि०लि/2009-43-मा०सं०-(04)/2008, दिनांक 28.02.2009 के प्राविधानान्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में, दिनांक 14.02.2007 से 28.02.2009 के मध्य उच्चिकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू० 14300-18300 अथवा निगमादेश सं०: 24-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2009, दिनांक 04.01.2010 के प्राविधानान्तर्गत दिनांक 02.03.2009 से उच्चिकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू० 16400-20000 में, वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त किया जा चुका है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०: 2159 -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2010, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/ कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (6) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/चिकित्सा/रिफार्म/प्रशिक्षण/ टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
- (10) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (11) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (13) कट फाइल ।

PM-3, Prayati.

O. net pl.  
3/10/10

आज्ञा से,

(वीर विनोद छाबड़ा)  
उप महाप्रबन्धक (02)